तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **कमलेश कच्छवाह बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावडी)** सू.अ.अपील संख्या 110/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23–08–24	अपीलार्थी कमलेश कच्छवाह निवासी रामनगर, चौखा, चौखा रोड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23/04/2023 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2023 से 29.02.2024 तक किए गए समस्त न्यायिक आदेश की अंतिम आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावडी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बावडी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बावडी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावडी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर–ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.	